आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

25.6.18

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 262 / 2017–18

अंचल अधिकारी, फारबिसगंज

बनाम

1. राजेन्द्र पासवान व नरेश पासवान, पिता–स्व0 नेंगरू पासवान, ग्राम–मुसहरी, वार्ड नं0 03, थाना+अंचल–फारबिसगंज, जिला–अररिया।
2. जीवन पासवान, पिता–नन्दलाल पासवान, ग्राम–मुसहरी, वार्ड नं0 03, थाना+अंचल–फारबिसगंज, जिला–अररिया।

आदेश

प्रस्तुत वाद विपक्षी प्रथम पक्ष राजेन्द्र पासवान, पिता–स्व0 नेंगरू पासवान, ग्राम–टेढ़ी मुसहरी, वार्ड नं0 03, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया द्वारा भू–लगान रसीद निर्गत नहीं करने से संबंधित परिवाद पत्र की अनन्य सं0 507110122061701212 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा निम्न विवरण की भूमि का अवैध रूप से दर्ज की गई जमाबंदी सं0 2563 बनाम राजेन्द्र पासवान ई0 को रद्द करने हेतु अभिलेख सं0 14 / 2017–18 अनुशंसा सहित इस न्यायालय को प्रेषित किया गया। जिसे बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम 9 के तहत प्रविष्ट कर संबंधित पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई।

जमीन का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं0
मुसहरी	182	559	51 डी0	2563

सूचनोपरांत पक्षकार न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना–अपना प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। तत्पश्चात् उभय पक्ष को सुना गया।

विपक्षी प्रथम पक्ष का दावा है कि प्रश्नगत भूमि का आर0एस0 खतियान टेक नारायण दास के नाम से दर्ज है, जिसका कुल खतियानी रकवा मात्र 55 डी0 है। जिसका सिकमी खाता 69 है। कायमी खतियानदार के वारिसानों से प्रश्नगत भूमि रकवा 51 डी0 भूमि बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 5653, दिनांक 10.06.2014 द्वारा क्रय कर दखलकार हुए और नामान्तरण वाद सं0 2516 / 5367 / 2014–15 द्वारा दाखिल–खारिज कराकर जमाबंदी सं0 2563 दर्ज कराकर लगान रसीद प्राप्त किया गया। विपक्षी जीवन पासवान द्वारा जिस लदावीनामा की बात की जा रही है वो जाली है तथा उनका दावा

गलत है। अंचलाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा इनके जमाबंदी को रद्द करने का जो प्रस्ताव भेजा गया है, वो गलत है। अतः अंचलाधिकारी के प्रस्ताव को रद्द कर उनके जमाबंदी को कायम रखने का अनुरोध करते है।

दूसरी ओर विपक्षी सं0 2, जीवन पासवान एवं अन्य का दावा है कि प्रश्नगत भूमि का कायमी खयितान टेकनारायण लाल दास के नाम दर्ज है, ये बात सही है तथा उक्त भूमि का सिकमी खतियान देवी पासवान के नाम दर्ज है और सिकमीदार देवी पासवान की मृत्युपरांत उनके पुत्र नेंगरू पासवान ने वर्ष 1967 में उक्त भूमि का निबंधित लदावीनामा सं0 7206, दिनांक 04.06.1967 द्वारा कनिक पासवान के नाम लादावी कर दिया, जो कनिक पासवान, जीवन पासवान वगैरह के दादा थे। वर्ष 1977–78 में कनिक पासवान के भाईयों के बीच आपसी बँटवारा हुआ। प्रश्नगत भूमि उनके दादा के हिस्से में प्राप्त हुआ। पूर्वजों के समय से ही वे लोग प्रश्नगत भूमि पर दखलकार है।

इनका आगे यह भी कहना है कि विपक्षी जीवन पासवान वगैरह ने प्रश्नगत भूमि को कायमी खयितानदार टेक नारायण लाल दास के वारिशानों से निबंधित दस्तावेज सं0 7624, दिनांक 30.07.2013 द्वारा क्रय कर लिया। इस प्रकार इन लोगों को कायमीदार एवं सिकमीदार दोनों से भूमि हस्तांतरित है। जिसका नामान्तरण वाद सं0 9100/2013–14 द्वारा नामांतरण कराकर लगान रसीद प्राप्त किया। विपक्षी सं0 01, राजेन्द्र पासवान ई0 ने इसी भूमि को वर्ष 2014 में खतियानी रैयत के फरीकेनों से निबंधित दस्तावेज सं0 5653, दिनांक 10.06.2014 द्वारा क्रय कर नामान्तरण करा कर प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा कर रहें है, जो अवैध है। अतः विपक्षी सं0 01 के दावा को रद्द करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, संलग्न साक्ष्यों, निम्न न्यायालय के अभिलेखों का परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का क्रमिक खतियान टेक नारायण लाल दास के नाम प्रकाशित है तथा उक्त भूमि का सिकमी खाता 69 देवी पासवान के नाम दर्ज थी। देवी पासवान के मृत्युपरांत उनके पुत्र नेंगरू पासवान द्वारा प्रश्नगत सिकमी भूमि को निबंधित लदावीनामा सं0 7206, दिनांक 04.06.1967 द्वारा कनिक पासवान के नाम लदावी कर दी गई। कनिक पासवान द्वारा उक्त भूमि के साथ अन्य भूमि का भी अपने भाईयों के बीच आपसी खानगी बँटवारा में हिस्सा को प्राप्त किया तथा भूमि पर दखलकार रहें। कलान्तर में उनके वारिसान विशेश्वर पासवान एवं जीवन पासवाई ई0 ने प्रश्नगत भूमि बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 7624, दिनांक 30.07.2013 द्वारा खयितानी रैयत के वारिसानों से क्रय किया, जिसका दाखिल खारिज नामान्तरण वाद सं0 9100/2013–14 द्वारा होकर जमाबंदी सं0 2301 दर्ज हुआ तथा लगान रसीद अद्यतन निर्गत होता आ रहा है।

विपक्षी सं0 01, राजेन्द्र पासवान ई0 द्वारा प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत के अन्य फरीकों से बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 5653, दिनांक 10.06.2014 द्वारा रकवा

51 डी0 भूमि क्रय की गई तथा तत्कालीन् हल्का कर्मचारी द्वारा नामान्तरण वाद सं0 2516 / 5367 / 2014–15 में समर्पित प्रस्ताव के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत होकर जमाबंदी सं0 2563 दर्ज हुआ और विपक्षी सं0 01 को लगान रसीद निर्गत हुआ। इस प्रकार एक ही भूमि का दोनों पक्षों को लगान रसीद निर्गत हो जाने के कारण भू–विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई।

अंचल अधिकारी, फारबिसगंज द्वारा भी जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 14 / 2017–18 में स्पष्ट किया है कि प्रश्नगत भूमि का कुल खयितानी रकवा मात्र 55 डी0 है, जिसका पूर्व में ही विपक्षी जीवन पासवान ई0 के नाम से विधिवत नामान्तरण होकर जमाबंदी सं0 2301 सृजित है तथा वर्ष 2016–17 तक का लगान रसीद निर्गत है तथा प्रश्नगत भूमि पर इनका दखल कब्जा कायम है।

इसी भूमि को विपक्षी सं0 01, राजेन्द्र पासवान ई0 द्वारा क्रय किया गया है, किन्तु प्रश्नगत भूमि पर इनका दखल कब्जा नहीं है। तत्कालीन् राजस्व कर्मचारी, राजेश कुमार शशि द्वारा बगैर स्थलीय जाँच एवं अभिलेखीय जाँच के हाल क्रेता विपक्षी सं0 01 ई0 के नाम नामान्तरण प्रस्ताव समर्पित कर दिये जाने के कारण नामान्तरण वाद सं0 2516 / 5367 / 2014–15 द्वारा उनके पक्ष में नामान्तरण होकर जमाबंदी सं0 2563 कायम होकर लगान रसीद निर्गत हो गया है, जिसे रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अतः विपक्षी सं0 01, राजेन्द्र पासवान व नरेश पासवान, पिता–स्व0 नेंगरू पासवान, सा0–मुसहरी के नाम सृजित की गई जमाबंदी सं0 2563 को रद्द किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख अंचलाधिकारी, फारबिसगंज को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह०
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 79 / रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 25 / 06 / 2018

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को विविध वाद जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 14 / 2017–18 मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

25.6.18
अपर समाहर्त्ता,
अररिया